देश न छोड़ें जायसवाल

467 करोड़ की वसूली का मामला

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 467,55,90,713 रु. की वसूली के लिए मेसर्स कार्पोरेट इस्पात अलाय लिमिटेड कम्पनी के खिलाफ कर्ज वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय मोहन चिकम की ओर से कम्पनी के डायरेक्टर मनोज जायसवाल, अभिषेक मनोज जायसवाल, रविंद्र और सिद्धार्थ जायसवाल को डीआरटी की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के आदेश जारी किए. उल्लेखनीय है कि बैंक ने कर्ज की वसूली के लिए डीआरटी में अलग-अलग अर्जियां दायर की हैं. जिस पर सुनवाई के बाद आदेश जारी किए गए. बैंक की ओर से अधि. एम. अनिल कुमार ने पैरवी की.

डायरेक्टर अपनी सम्पत्ति का करें खुलासा

अधि. अनिल कुमार ने बताया कि बैंक की ओर से 5 अर्जियां दायर की गईं. पहली अर्जी में बैंक ने कम्पनी पर सम्पत्ति बेचने को लेकर पाबंदी लगाने की मांग की, जिस पर डीआरटी ने सम्पत्ति बैंक के पास गारंटी के तौर पर गिरवी होने से अर्जी खारिज कर दी. दूसरी अर्जी में बैंक ने कम्पनी को अपनी सम्पत्ति घोषित करने के आदेश देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए डीआरटीने 9 जून 2017 तक घोषित करने के आदेश सभी डायरेक्टर को दिए. प्राधिकरण को बताया गया कि गत 2 वर्ष से कम्पनी ने बैंक अकाऊंट आपरेट तक नहीं किया, जबकि इतनी भारी टर्नओवर वाली कम्पनी द्वारा बैंक अकाऊंट के बिना व्यापार करना संभव ही नहीं है, यानी कम्पनी किसी दूसरे अकाऊंट का उपयोग कर रही है. प्राधिकरण ने कम्पनी को केवल एसबीआई अकाऊंट का ही उपयोग करने को कहा था दूसरे बैंक अकाऊंट आपरेट करने पर पाबंदी भी लगाई.

अभिरुचि विजन 102 करोड़ जमा करें

अन्य अर्जी पर सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से बताया गया कि जो कर्ज दिया गया था, उसे धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से दूसरे मार्गों से अन्यत्र मोड़ा जा रहा है. लेखा-जोखा के अनुसार कर्ज की राशि में से 102,26,78,728 रु. मेसर्स कार्पोरेट इस्पात अलाय लिमिटेड कम्पनी ने अपनी सहयोगी कम्पनी कोलकाला स्थित मेसर्स अभिरूचि विजन प्रा.लि. को दे दिया है, जिसका दुरुपयोग किया गया है. लंबी सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने 9 जून तक उक्त राशि ट्रिब्यूनल में जमा करने के आदेश दिए. साथ ही यदि यह राशि मेसर्स कार्पोरेट अलाय को दी गई हो, तो कार्पोरेट अलाय यह राशि जमा करें.

इंजीनियरिंग प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया अब 3 राउंड में

चौथा काउंसिलिंग राउंड बंद होगा

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली गई जेईई मेन का परिणाम घोषित हो गया है, जबकि सीईटी का परिणाम भी जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया की शुरूआत हो जाएगी. इस बार छात्रों को 4 नहीं बल्कि 3 राउंड में ही प्रवेश दिए जाएंगे. कौंसिलिंग राउंड बंद होने से छात्रों को तीन राउंड के भीतर प्रवेश पक्का कराना होगा. इससे एक ओर जहां प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूर्ण होगी, वहीं दूसरी ओर सत्रारंभ निर्धारित अवधि में हो सकेगा, लेकिन इससे कॉलेजों को जरूर झटका लगेगा. छात्रों की सुविधा के लिए कैप राइंड में फ्रिज, स्लाइड और फ्लोट की सुविधा उपलब्ध रहेगी. वैसे देखा जाए तो पहले तीन ही राउंड हुआ करते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले चौथा कौंसिलिंग राउंड किया जाने लगा है. इसमें बची हुई सीटों पर सीधे संस्था के माध्यम से प्रवेश दिए जाते थे. इस राउंड में बची हुए प्रवेश पूरे होने से कॉलेजों को आधार मिलता था. लेकिन अब संपूर्ण प्रक्रिया तीन राउंड में ही निपट जाएगी. एक राउंड कम होने से छात्रों को प्रक्रिया में शामिल होते समय सावधानी से आवेदन भरना होगा.

मिलेंगे अवसर

प्रवेश प्रक्रिया पद्धति निश्चित कर ली गई है. प्रथम फ्रीज में मिले कॉलेज में ही छात्र को प्रवेश पक्का कराना होगा. उसे अन्य राउंड में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द्वितीय स्लाइड में भी यही होगा, लेकिन छात्र को उसी कॉलेज में अन्य ब्रांच बदलने के लिए उसके पास विकल्प रहेगा. स्लाइड वाले छात्र उसी कॉलेज में ब्रांच के लिए दूसरे और तीसरे राउंड के लिए प्रयास कर सकेंगे.

तृतीय फ्लोट के तहत जिस कॉलेज में प्रवेश वहीं प्रवेश लेना होगा. लेकिन उसे अन्य कॉलेजों के लिए अगले राउंड में जाने का अवसर मिल सकेगा.

आधारकार्ड और बैंक डिटेल्स प्रस्तुत करना अनिवार्य

प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही जो छात्र राजर्षि शाहू छत्रपति छात्रवृत्ति योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता योजना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति लाभार्थी योजना में आएंगे उनके लिए आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स प्रस्तुत अनिवार्य होगा. इस वर्ष से छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति सीधे तौर पर उनके खाते में जमा होगी. इसमें कॉलेजों का रोल खत्म हो जाएगा. छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को अपना परफार्मेंस भी दिखाना होगा. इसके तहत छात्रों की उपस्थिति और उसका प्रदर्शन भी देखा जाएगा. जो छात्र नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहेंगे वे छात्रवृत्ति से वंचित भी हो सकते हैं.

'इस बार प्रवेश प्रक्रिया के तीन राउंड होने वाली है. चौथा राउंड बंद किया जा रहा है. अतः छात्रों को प्रवेश लेते वक्त सावधानी बरतना होगा, निर्देशों को योग्य तरीके से पढ़कर ही आवेदन भरने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

- गुलाबराव, विभागीय सहसंचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग

114 विद्यार्थियों को 3 विषयों में मिला शून्य

ऑनलाइन परीक्षा के कारण आईटीआई रिजल्ट में गड़बड़ी

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- किसी भी प्रकार की गलती नहीं होते हुए भी नागपुर के सरकारी आईटीआई के करीब 114 विद्यार्थियों को परीक्षा में जीरो देने की आश्चर्यजनक घटना घटी. ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा शुरू होने से उनके अंकों के बारे में यह गड़बड़ी हुई है. विद्यार्थियों व उनके पालकों ने इस गड़बड़ी के विरोध में संघर्ष तेज कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने व शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है. इस परीक्षा के प्रश्न बहुपर्यायी स्वरूप के थे. हल की गई उत्तरपत्रिका की ओएमआर शीट उन विद्यार्थियों ने जब मांगी और देखा तो उस शीट के अनुसार सभी विद्यार्थियों की अंकसूची में जीरो अंक लिखकर आया है. इस गड़बड़ी के विरोध में जनवरी महीने से विविध स्तर पर न्याय मांगने के बावजूद अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिल पाने से विद्यार्थी तथा उनके पालक संतप्त हो गये हैं. आईटीआई की जुलाई 2016 में हुई द्वितीय सत्र की परीक्षा का परिणाम 4 जनवरी 2017 को घोषित किया गया. इस परीक्षा में शासकीय आईटीआई के करीब 114 विद्यार्थियों की अंकसूची पर 3 थ्योरी तथा एक प्रात्याक्षिक विषय के लिए जीरो अंक लिखा गया है. इस तरह के अजब-गजब परिणाम के कारण विद्यार्थियों को काफी धक्का लगा. कालेज प्रशासन, व्यवसाय शिक्षण विभाग के प्रादेशिक कार्यालय, जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री तक इस बारे में न्याय मांगा गया. विद्यार्थियों के पालकों ने भी अनेक स्थानों पर जाकर भेंट की. विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सुधारें तथा गलती की दुरूस्ती करें, इसके लिए विद्यार्थी व उनके पालक विगत 4-5 महीने से प्रयासरत हैं.

न्याय के लिए मुंबई जाएंगे : प्राचार्य

शासकीय आईटीआई के प्राचार्य रविंद्र लोखंडे ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि नागपुर के आईटीआई से राज्यस्तर पर योग्य अंक भेजे गए हैं. व्यवसाय शिक्षण विभाग के राज्य मुख्यालय से दिल्ली में ये अंक भेजे जाते हैं. दिल्ली के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के स्तर पर यह गलती हुई है. 100 से ज्यादा विद्यार्थियों के भविष्य का यह प्रश्न है. उन्होंने कहा, हमने नागपुर स्तर पर सभी प्रकार का पत्र व्यवहार इसके पूर्व किया है. अभी भी प्रयास शुरू है. अब वे स्वयं मुंबई स्थित राज्य मुख्यालय में जाकर इस संबंध में चर्चा करेंगे.

पिछली बार भी अनुत्तीर्ण कर दी थी पूरी बैच

इसके पूर्व ऑफलाइन पद्धति द्वारा विद्यार्थियों के अंक राज्यस्तर पर भेजे जाते थे, परंतु ऑनलाइन पद्धति शुरू होने से भारी गड़बड़ी शुरू हो गई है. विगत वर्ष भी नागपुर के शासकीय आईटीआई की पूरी बैच इसी प्रकार से अनुत्तीर्ण कर दी गई थी. उसके बाद फिर से एक बार आईटीआई के 114 विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिये जाने से विद्यार्थियों के सामने संकट गहरा गया है. शासन से इस संबंध में शीघ्र दखल लेकर न्याय दिलाने की मांग उन विद्यार्थियों ने की है.

14 बिजली उत्पादन सयंत्र बंद होंगे

नागपुर- प्रदूषण रोके जाने के उद्देश्य से 25 साल या उससे अधिक समय से उपयोग में आने वाले कोयला आधारित बिजलीनिर्मिति सयंत्रों को बंद किये जाने के आदेश केन्द्र सरकार ने दिये हैं. इस आदेश के चलते अब विभिन्न चरणों में राज्य के 14 बिजली निर्माण सयंत्र बंद किये जाने वाले हैं. इसका असर यह होने वाला है कि करीब तीन हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन कम होने वाला है.बंद किये जाने वाले सयंत्रों को फिर नए से खड़ा करने में राज्य पर आर्थिक बोझ भी पड़ने वाला है. बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिये कोयले पर आधारित पुराने बिजली उत्पादन सयंत्रों को बंद किये जाने के आदेश केन्द्र सरकार ने दिये हैं. राज्य के ऊर्जामंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले का कहना रहा कि केन्द्र के आदेश के बाद अब पुराने पड़े सयंत्रों को बंद कर इन्हें नए से बनाए जाने का नियोजन राज्य सरकार करेगी. बिजली ग्राहकों पर करीब 23 हजार करोड़ का बिजली बिल बकाया है. हमारी कोशिश रहेगी कि वसूली की नई नीति लागू कर 7 से 8 हजार करोड़ की बकाया राशि वसूल की जाए.

इन सयंत्रों को करना होगा बंद

केन्द्र सरकार के आदेश के बाद अब राज्य के 14 बिजलीनिर्मिति सयंत्रों को बंद करना होगा. इन सयंत्रों की बिजली उत्पादन क्षमता 210 मेगावॉट की है. बंद किये जाने वाले 14 सयंत्रों में कोराडी 2, भुसावल 2, नासिक 2, परली 3, खापरखेड़ा (2), चन्द्रपुर 3 का समावेश है.

स्वाइन फ्लू से अब तक 28 की गई जान

101 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- एक ओर जहां पारा दिनोंदिन चढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वाइन फ्लू के वाइरस भी तेजी से फैलते जा रहे हैं. एक के बाद मरीजों की मौत का सिलसिला भी शुरू है, वहीं पॉजिटिव मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस बीच बुधवार को 2 महिलाओं की मौत हो गई. इनमें से एक महिला का उपचार मेडिकल और एक महिला निजी अस्पताल में भर्ती थी. इन 2 मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 28 हो गई है, जबकि अब तक 101 मरीजों में पॉजिटिव पाया गया है. स्वाइन फ्लू को लेकर शुरूआत से ही बरती गई लापरवाही का ही नतीजा है कि मरने वालों का आंकड़ा दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है. भंडारा निवासी 55 वर्षीय एक महिला की तबीयत गंभीर होने के बाद परिजनों ने उसे मेडिकल में भर्ती कराया था. उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से उपचार शुरू कर दिया गया था. लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, जबकि दूसरी मृतका अकोला जिले के रहाटगांव निवासी बताई गई. 45 वर्षीय इस महिला को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था. 2 अन्य मरीजों की हालत गंभीर बताई गई है. दोनों को वेंटिलेटर पर रखा गया है.

नहीं बरती सावधानी

डॉक्टरों की उम्मीद के विपरीत इस बार भीषण गर्मी में मरीजों की संख्या बढ़ी है. अनुमान लगाया जा रहा है अगले दिनों में मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है. मेडिकल में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार किया गया है. इन मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. फिलहाल कुछ मरीज भर्ती हैं. दरअसल यह बीमारी संपर्क में आने से फैलती है. यदि किसी परिवार के एक सदस्य को स्वाइन फ्लू हुआ है तो सम्पर्क में आनेवाले अन्य मरीजों को भी स्वाइन फ्लू की संभावना रहती है. इस हालत में इन मरीजों को टेमीफ्लू दवाई दी जानी चाहिए. लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग उन घरों में पहुंचे, जबकि हालत यह है कि मनपा के पास पॉजिटिव और मरने वालों के आंकड़े तक योग्य तरीके से नहीं रखे जाते.निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से मरने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही है. शुरूआत में लगभग मरीज निजी अस्पतालों में ही भर्ती हुए. इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रही. बताया जाता है कि निजी अस्पतालों ने मरीजों की जानकारी समय पर मनपा को उपलब्ध नहीं कराई.

बकाया बिलों का नहीं किया भुगतान

डिजिटल जिले का वाईफाई बंद, 449 ग्रापं का ऑनलाइन कामकाज ठप

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- राज्य के प्रथम डिजिटल जिले के तौर पर शासन ने नागपुर जिले की घोषणा की थी. जिले की 769 ग्राम पंचायतों को वाईफाई से कनेक्ट किया गया था. इस तकनीक के सहारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने स्वयं जिले के डोंगरगांव, बेलदा और ब्राह्मणी के किसान, महिला बचत समूह और विद्यार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे बातचीत की थी. लेकिन आज की स्थिति में जिले की 449 ग्राम पंचायतों के वाईफाई कनेक्शन बंद पड़े हुए हैं. साल भर में ही डिजिटल जिला बेकार साबित हो गया है.

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क प्रकल्प के तहत 2014 में नागपुर को प्रायोगिक आधार पर चुना गया था. शहर समेत 13 तहसीलों में कुल 1600 किमी ऑप्टिकल फायबर केबल डालकर ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया था. 30 करोड़ रुपए की लागत के प्रकल्प के कारण ग्राम पंचायत समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और अन्य संस्थाएं तथा क्षेत्र के नागरिकों को अखंडित, स्तरीय गतिमान इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. पंचायत संस्थाओं का कामकाज अधिक सक्षम व गतिमान होने की कड़ी में ग्राम पंचायतों को वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. ग्राम पंचायत स्तर पर संग्राम कक्ष के माध्यम से 27 प्रकार के प्रमाणपत्र दिए जाते हैं. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से यह सब संभव हो पाया था. लोगों को तुरंत प्रमाणपत्र मिलने लगे थे, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण यह व्यवस्था बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई. आज की स्थिति में जिले की 449 ग्राम पंचायतों के वाईफाई बंद पड़े हुए हैं.

बकाया बिल दे शासन

शासन के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. मूलतः ग्राम पंचायतों की आय के स्त्रोत सीमित होने से शासन को ही वाईफाई व्यवस्था के बकाया बिल का भुगतान करना चाहिए.

शरद डोणेकर, उपाध्यक्ष, जिला परिषद, नागपुर

प्रशासन का ध्यान नहीं

'शासन की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी, जीआर गांववालों को ऑनलाइन मिल पा रहे थे, परंतु प्रशासन के ध्यान नहीं देने से खर्च किए गए करोड़ों रुपए की लागत फिजूल साबित हो रही है.

संदीप सरोदे, सभापति, पंचायत समिति, काटोल

पड़ी है. जिला परिषद के पंचायत विभाग के आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल तक 305 ग्राम पंचायतों पर भी बिल बकाया था. इसकी वजह से इनमें से भी अनेक ग्राम पंचायतों की वाईफाई सेवा बंद पड़ गई है, बताते है.

अवैध तरीके से नींद की गोलियां बेची

होलसेल दवा विक्रेता द्वारा बोगस बिल बनाने का मामला

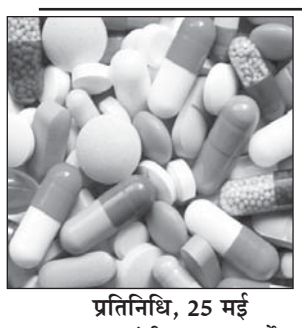

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- गांधीबाग दवा मार्केट के एक होलसेल दवाई विक्रेता द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से नींद की गोलियां(नायट्रावेट टैबलेट) बेचे जाने का मामला उजागर हुआ है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अजीत फार्माटिक्स संचालक श्रीनिवास गोपीकिसन सारडा ने 15 अप्रैल से मई माह तक अवैध तरीके से नींद की गोलियां बेची हैं. लेकिन असल खरीदारों के बजाए कुछ बोगस मेडिकल स्टोर्स के नाम से दवा बेचे जाने के बिल तैयार किए थे. सूत्रों के मुताबिक नींद की गोलियों से कई लोग नशा करते हैं. अतः मरीज को भी डॉक्टरी पर्ची के बिना ये गोलियां बेचना अपराध है.

यह गोरखधंधा एक रिटेलर ने उजागर किया है. आरोपी ने बड़े पैमाने पर नींद की गोलियां बेचकर मेडिकल स्टोर्स और रिटेलर सहित 68 खरीदारों के नाम से बिल तैयार किए थे. इसकी जांच में एफडीए के सामने मामले का खुलासा हुआ था. लेकिन एफडीए के अनुसार ही 68 खरीदार रिटेलर में से 2 मेडिकल स्टोर संचालकों ने अजीत फार्माटिक्स से नींद की गोलियां खरीदने से इनकार कर दिया. लेकिन इस मामले को एफडीए ने गंभीरता से नहीं लिया. जबकि थोक विक्रेता के बड़े पैमाने पर नींद की गोलियों की अवैध तरीके से बिक्री करने से लाइसेंस तक निलंबित किया जा सकता है. फिर मामला इंटेलिजेंस ब्यूरो (मुंबई) तक पहुंच गया.

मुंबई की विशेष टीम ने नागपुर पहुंचकर मामले की तहकीकात की जिसमें इंदोरा और पांचपावली के मेडिकल स्टोर्स के नाम से बोगस बिल बनाए जाने का पता चला. एफडीए नागपुर की दवा निरीक्षक स्वाती भरडे की शिकायत पर तहसील पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420, 468, 471, 464 और औषधी निर्माण कानून 1940 की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पहली बार एफडीए की ओर से पहल करते हुए इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है.

गंभीर मामला नही

अन्न व औषधी प्रशासन विभाग की निरीक्षक व मामले की फरियादी स्वाती भरडे ने कहा कि मामले की जानकारी के लिए सहायक आयुक्त से संपर्क कीजिए. सहायक आयुक्त (औषधी व अन्न) मोहन केकतपुरे से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर नहीं है. होलसेलर ने 68 रिटेलर के नाम से दवा बिक्री के लिए बिल तैयार किए थे. लेकिन 66 रिटेलर ने दवा खरीदने की बात स्वीकार की है. जबकि केवल 2 रिटेलर यह दवाई खरीदने से इंकार कर रहे हैं. इसलिए कौन सच बोल रहा है इसकी जांच के लिए पुलिस को शिकायत की गई है. इसमें कोई न्यूज मटेरियल नहीं है.

नशे का जरिया बनती है गोलियां

जानकारों के अनुसार देश की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में फंसकर चरस, अफीम,गांजा और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का सेवन कर रही है. लेकिन जो युवा महंगा नशा नहीं कर सकते हैं, वे मेडिकल स्टोर्स का रुख करके नींद की गोलियों का सेवन करने लगते है. नींद की गोलियां शेड्यूल ड्रग्स के तहत आती है. डॉक्टर की पर्ची के बगैर बेचने की मनाही है. शेड्यूल ड्रग्स की बिक्री का हिसाब रखना भी थोक विक्रेता के लिए अनिवार्य है. लेकिन कुछ विक्रेता मनमानी कीमत पर गोलियों की बिक्री कर असल खरीदार के बजाए अन्य मेडिकल स्टोर्स के नाम बिल तैयार करते हैं.

नासुप्र और राष्ट्रभाषा सभा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा से 40.33 करोड़ रुपये की वसूली करने में लापरवाही बरतने का आरोप सिटीजन्स फोरम फॉर इक्वालिटी ने लगाया है. फोरम ने नासुप्र और राष्ट्रभाषा सभा के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अवमानना याचिका दाखिल करने की भी चेतावनी दी है. फोरम के अध्यक्ष मधुकर कुकड़े ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रभाषा द्वारा जमीन का दुरुपयोग करने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 164 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए थे, लेकिन ये जुर्माना नहीं भरा गया. राष्ट्रभाषा सभा ने रकम अधिक होने पर जमा करने में असमर्थता दर्शाई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में 40.33 करोड़ रुपये जमा करने संबंधी आदेश 24 मार्च को दिए थे. इसके बावजूद सभा की ओर से रकम जमा नहीं कराई गई. नासुप्र ने 29 अप्रैल को राष्ट्रभाषा सभा को नोटिस जारी कर तत्काल रकम जमा करने के आदेश दिए. यदि रकम जमा नहीं की जाती तो संपत्ति को सील करने की भी चेतावनी दी गई.

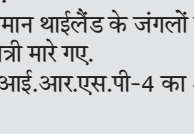

लापरवाही बरतने का सिटीजन्स फोरम का आरोप

राजनीतिक दबाव भी एक वजह

कुकड़े ने बताया कि राजनीतिक दबाव की वजह से नासुप्र द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि यह न्यायालय के आदेश की अवमानना है . इस प्रकरण में राष्ट्रभाषा सभा के विश्वस्त पुणे निवासी शांताराम पाटिल ने भी नागपुर विभाग के अध्यक्ष गिरीश गांधी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. सभा के अध्यक्ष पुणे निवासी उल्हास पवार से पूछा है कि इस मामले में दोषी कौन है और क्या कार्रवाई करेंगे. नासुप्र द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने की वजह से ही कुकड़े ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल करने की चेतावनी दी है.

आज का इतिहास 26 मई

1739 मुगले बादशाह मुहम्मद शाह और ईमरान के नादिर शाह के बीच समझौते के तहत अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया.
1805 नेपोलियन बनोपार्ट को ताजपोशी इटली के शासके के रूप में हुई.
1865 अमरीकी गृहयुद्ध समाप्त हुआ था.
1887 ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी चार्टर्ड हुई.
1924 अमरीका ने आब्रजन कानून को और कड़ा किया तथा जापानियों के आब्रजन पर पूरी तरह रोक लगा दी.
1933 ऑस्ट्रेलिया ने अंटार्कटिका महाद्वीप के एक तिहाई हिस्से पर अपना दावा किया.
1942 द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन फौजों ने स्टालिनग्राड और काकेशूस के लिए अपना अभियान शुरू किया.
1957 जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई.
1966 ब्रिटिश गुयाना के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बना.
1987 श्रीलंकाई सैनिकों ने जाफना प्रायद्वीप में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान शुरू किया.
1990 रूसी राष्ट्रपति के चुनाव में योरिस येल्तसिन को चुनाव में बहुमत नहीं मिल सका.
1991 ऑस्ट्रेलियाई विमान थाईलैंड के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे 233 यात्री मारे गए.
1999 भारतीय उपग्रह आई.आर.एस.पी-4 का श्री हरिकोटा से सफल परीक्षण.

बालक की डूबने से मौत

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- बुधवार को दोपहर 4 बजे एक 6 वर्षीय बालक की कन्हान नदी में डूबने से मौत हो गई. रायवाड़ी निवासी अर्पित संजय बावने रोजाना की तरह बुधवार को भी बकरियां चराने बावनगांव गया था. बकरियों को पानी पिलाने वह कन्हान नदी पर ले गया. वहां पानी गहरा होने से पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई. जानकारी मिलते ही लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. खापा के थानेदार प्रवीण वांगे के मार्गदर्शन में जमादार जाचक जांच कर रहे हैं. अर्पित की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है.

नागपुर से शुरू होगी पहली ई-ट्रांसपोर्ट सेवा

प्रतिनिधि, 25 मई

नागपुर- बायोइथेनॉल पर संचालित बसों के बाद अब नागपुर को बैटरी संचालित टैक्सी कैब सेवा मिलने वाली है. ये नई पर्यावरण प्रिय लोकल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ना केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जा रही है बल्कि टैक्सी कैब की प्रति किलो मीटर की दरों को भी नीचे लाएगी. 26 मई को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों इसका उद्घाटन होगा. केंद्र सरकार 2030 तक देश के अधिकतर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रीसिटी पर लाना चाहती है. मकसद के तहत नागपुर में पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट में सरकार का साथ महिंद्रा और टैक्सी कैब ओला जैसी कंपनियां साथ दे रही हैं.

सस्ती होगी राइड

ओला कैब में इस बैटरी कार में सफर करना भी पेट्रोल और डीजल की कार के मुकाबले किफायती साबित होगा. फिलहाल ओला का सबसे कम रेट 7 रुपए प्रति किलोमीटर की दर का है, वहीं इलेक्ट्रिक टैक्सी कैब में प्रति किलोमीटर की दर घटकर 5 रुपए पर आ जाएगी. सस्ते सफर के लिए वाहनों को उस तरह से ढालने में कंपनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. आज हर वाहन चालक के लिए मायलेज सबसे अहम मुद्दा है.

लांच होंगी 200 इलेक्ट्रिकल कारें

कम होंगे वायु प्रदूषण के घटक

पर्यावरणविद कौस्तव चटर्जी कहते हैं कि इस तरह की पहल 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस एग्रीमेंट की शर्तों की ओर बढ़ाया गया एक कदम है. इससे स्थानीय वायु प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आने की संभावनाएं हैं. ग्रीन हाउस गैसें मसलन कार्बन डाईऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक कम्पाउंड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजोन, सीसा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आदि के उत्सर्जन में कमी आएगी.

बिजली घरों पर बढ़ेगा भार

वायु प्रदूषण के दो मुख्य श्रोत हैं. इनमें वाहन व दूसरे उद्योग और बिजली घर आदि. वाहनों के बैटरी में तब्दील होने से पावर प्लांटों पर चार्जिंग के लिए बिजली की खपत बढ़ेगी. शहर में भले ही प्रदूषण का स्तर इससे कम होगा लेकिन बिजली घरों में उत्पादन बढ़ेगा, जिससे बिजली घर से होने वाले वायु प्रदूषण में बढ़ोत्तरी होगी. हालांकि ईंधन और बिजली उत्पादन से उत्सर्जित होने वाले कार्बन में कम से कम 40 प्रतिशत की कटौती देखने मिल सकती है. इस वाहन को प्रमोट करते वक्त एक चेतावनी भी दी गई है कि बिजली घरों पर भार बढ़ेगा.

सौर्य ऊर्जा बेहतर विकल्प

इस भार को भी कम करने के लिए कौस्तव सौर्य ऊर्जा को एक बड़ा और स्वच्छ स्त्रोत मानते हैं. उनका मानना है कि सौर्य ऊर्जा का अगर इस्तेमाल इन बैटरी कारों की बैटरियों को रीचार्ज करने में उपयोग में लाया जाता है तो बिजली घरों पर बिजली उत्पादन के लिए निर्भरता कम की जा सकती है. जाहिर है तब ही जाकर सही मायनों में हम कार्बन उत्सर्जन को पेरिस करार के मुताबिक 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की सीमा 2005 से भी नीचे लाने की शर्त के लक्ष्य को हासिल कर सकेगी. इस बेहतर विकल्प को अपनाने की सलाह दी है.